



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं./52/2021-881

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, भागलपुर।

पटना 14, दिनांक-07/10/2022

विषय — भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80 भागलपुर-कहलगाँव-मिर्जाचौकी (132.895-190.150 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 41.559 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग — भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/125806/2021/481 दिनांक 22.08.2022 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 951 (अनु०) दिनांक 30.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/ROAD/125806/2021/481 दिनांक 22.08.2022 द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 41.559 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भागों (भाग-A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 784 दिनांक 25.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में रु. 1,47,65,678/- एवं NPV मद में रु. 3,98,04,379/- अर्थात् कुल रु० 5,45,70,057/- (रुपये पाँच करोड़ पैंतालीस लाख सत्तर हजार सनतावन) मात्र को कैम्पा लेखा में जमा कराते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपत शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। आपके कार्यालय पत्रांक 951 (अनु०) दिनांक 30.09.2022 द्वारा मांग की गयी राशि जमा कराते हुए कार्यादेश की मांग की गयी है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 784 दिनांक 25.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में रु. 1,47,65,678/- की मांग की गयी थी, जिसका आकलन रु० 318 प्रति मानव दिवस के आधार पर किया गया था। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रु० 373 प्रति मानव दिवस किया गया है।

4. वर्तमान मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 1,73,20,140/- (रुपये एक करोड़ तिहतरह लाख बीस हजार एक सौ चालीस) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक वनरोपण मद हेतु रु. 1,73,20,140.00
(-) आपके द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में जमा की गयी राशि रु. 1,47,65,678.00 अर्थात अंतर की राशि रु. 25,54,462.00 मात्र को कैम्पा लेखा में जमा कराने की आवश्यकता है।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु० 373/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

5. उपर्युक्त CA मद की अंतर की राशि रु. 25,54,462.00 (रूपये पच्चीस लाख चौवन हजार चार सौ बासठ) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-6 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-9 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक- व.सं./52/2021-88

दिनांक- 07/10/2022

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर /वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।